FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, मुकाम नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
लिछमण पुत्र स्व नन्दाराम जाति कुमावत निवासी आसपुरा (भंवरपुरा) तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर		श्रीमान रामसुख गुर्जर, उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर वगैरह

किस्म मुकदमा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 31 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जारी हुए
27.06.18	प्रार्थी ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर कुचामनसिटी के यहां विचाराधीन प्रकरण संख्या–94/2016 लिछमण बनाम किशनाराम को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अधिनस्थ न्यायालय से पैरावाईज टिप्पणी तलब हो तथा अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 30.07.18 को पेश हो। जिला कलक्टर,नागौर	
30.7.18	वकील प्रार्थी उप०। गत आदेशानुसार पालना होकर पत्रावली दिनांक 13.8.18 को पेश हो। पुनश्च:- इतना लिखने पर वकील श्री श्यामकुमार व्यास ने अप्रार्थी सं. 2 से 318 तक के अप्रार्थीगण के कलक्टर, नागौर की वकालतनामे पेश किये, जो शा.मि. हो। पत्रावली मुकर्रश दिनांक 13.8.18 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
13/8/18	**वकुलाय उपस्थित।** **श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय** आज प्रशासनिक कार्य **में व्यस्त है** अवकाश पर है। अतः इन्त[illegible] आईन्दा दिनांक 16-8-18 को पेश हो।	
16/8/18	वकुलाय उपस्थित। श्रीमान पी. ओ. साहब प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 20/8/18 को पेश हो।	
20.8.18	वकुलाय उप०। वकील प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध पेश किया है। उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेशिका की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (कुमार पाल गौतम) कलक्टर, नागौर	

नागौर (राजस्थान)